संख्या-48/2023/001-880/60-1-2023

प्रेषक,

सुनील कुमार यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक:: 28 अक्टूबर, 2023**

विषय:- Revised procedure for flow of funds under Centrally Sponsored Schemes (CSS)-Delay in transfer of Scheme funds from State treasury to the SNA account-reg.

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1077/निदे0म0क0/प्रोबे0/मिशन वात्सल्य-बजट-4/2023-24, दिनांक18.08.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत मिशन वात्सल्य योजनान्तर्गत गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवशेष केन्द्रांश की धनराशि रू0 2012.96 लाख (रूपये बीस करोड़ बारह लाख छियानबे हजार मात्र) में से रू0 17,06,76,525/- (रूपये सत्रह करोड़ छः लाख छिहत्तर हजार पॉच सौ पच्चीस) को एस0एन0ए0 खाते में अन्तरित किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -:

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17-03-2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, महिला कल्याण यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(3) बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, महिला कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(6) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा योजना हेतु केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों/गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा।

(8) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये

(9) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व निदेशक, महिला कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजनान्तर्गत अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि राज्य की समेकित निधि में जमा है।

(10) उक्त के अतिरिक्त यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक होगा कि जिस मद के लिए धनराशि दी जा रही है उसी मद में व्यय की जायेगी। व्यय की गई धनराशि की कठोरता से आडिटिंग की जायेगी और कार्य पूर्ण होने पर उसके सत्यापन के पश्चात ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2235021020106 (बाल कल्याण समिति (के.35/रा.65 के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.35/रा.65 के.)	10 जलकर / जल प्रभार	2,17,000 (रुपये दो लाख सत्रह हजार मात्र)
2	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.35/रा.65 के.)	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,05,00,000 (रुपये एक करोड़ पांच लाख मात्र)
	कुल			**1,07,17,000 (रुपये एक करोड़ सात लाख सत्रह हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021020107 (स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से शहरी तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में जरूरतमन्द बालकों के लिये खुले आश्रय गृह (के.60/रा.30/स्वै.10-के.+रा.+स्वै))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020107	20	35,70,155

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से शहरी तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में जरूरतमन्द बालकों के लिये खुले आश्रय गृह (के.60/रा.30/स्वै.10-के.+रा.+स्वै)	सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	(रुपये पैंतीस लाख सत्तर हजार एक सौ पचपन मात्र)
	कुल			**35,70,155 (रुपये पैंतीस लाख सत्तर हजार एक सौ पचपन मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021020110 (विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
2	049	2235021020110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.)	41 भोजन व्यय	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
	कुल			**90,00,000 (रुपये नव्वे लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021020112 (विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के..60/रा.40 के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के..60/रा.40 के.)	41 भोजन व्यय	17,25,383 (रुपये सत्रह लाख पच्चीस हजार तीन सौ तिरासी मात्र)
2	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के..60/रा.40 के.)	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in

	कुल			**47,25,383** **(रुपये सैंतालीस लाख पच्चीस हजार तीन सौ तिरासी मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021020114 (किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/ गृहों का संचालन (के..60/रा.40 के.+रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020114 किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/ गृहों का संचालन (के..60/रा.40 के.+रा.)	61 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. मे अन्तरण	2,97,04,688 (रुपये दो करोड़ सत्तानवे लाख चार हजार छह सौ अट्ठासी मात्र)
	कुल			**2,97,04,688** **(रुपये दो करोड़ सत्तानवे लाख चार हजार छह सौ अट्ठासी मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021020115 (बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.)	04 यात्रा व्यय	1,35,000 (रुपये एक लाख पैंतीस हजार मात्र)
2	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.)	07 मानदेय	18,00,000 (रुपये अठारह लाख मात्र)
3	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.)	08 कार्यालय व्यय	59,00,000 (रुपये उनसठ लाख मात्र)
4	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.)	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	27,50,000 (रुपये सत्ताईस लाख पचास हजार मात्र)
5	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की	17 किराया, उपशुल्क और कर-	56,00,000 (रुपये छप्पन लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		स्थापना (के.60/रा.40-के.)	स्वामिस्व	
6	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.)	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	4,12,60,800 (रुपये चार करोड़ बारह लाख साठ हजार आठ सौ मात्र)
7	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.)	42 अन्य व्यय	78,41,076 (रुपये अठहत्तर लाख इकतालीस हजार छिहत्तर मात्र)
8	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.)	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	42,50,000 (रुपये बयालीस लाख पचास हजार मात्र)
9	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.)	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	22,00,000 (रुपये बाईस लाख मात्र)
10	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.)	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	24,00,000 (रुपये चौबीस लाख मात्र)
11	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.)	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,61,69,000 (रुपये एक करोड़ इकसठ लाख उनहत्तर हजार मात्र)
	कुल			**9,03,05,876** **(रुपये नौ करोड़ तीन लाख पांच हजार आठ सौ छिहत्तर मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021020117 (स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से बाल गृह (बालक/बालिका) का संचालन (के.60/रा.30/स्वै.10-के.+रा.+स्वै.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020117 स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से बाल गृह (बालक/बालिका) का संचालन	20 सहायता अनुदान -	92,25,410 (रुपये बयान्वे लाख पच्चीस हजार चार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		(के.60/रा.30/स्वै.10-के.+रा.+स्वै.)	सामान्य (गैर वेतन)	सौ दस मात्र)
	कुल			**92,25,410 (रुपये बयान्वे लाख पच्चीस हजार चार सौ दस मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021020122 (किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना (के.35/रा.65-के.))

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	049	2235021020122 किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना (के.35/रा.65-के.)	61 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. मे अन्तरण	1,34,28,013 (रुपये एक करोड़ चौंतीस लाख अट्ठाईस हजार तेरह मात्र)
	कुल			**1,34,28,013 (रुपये एक करोड़ चौंतीस लाख अट्ठाईस हजार तेरह मात्र)**

महायोग	17,06,76,525 (रुपये सत्रह करोड़ छः लाख छिहत्तर हजार पांच सौ पच्चीस मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या-E-4-91-X-2023-24- दिनांक:06-09-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सुनील कुमार यादव)
अनु सचिव

संख्या-48/2023/001-880/60-1-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार यादव)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।